झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
एकादश (बजट) सत्र
वर्ग–03

निम्नांकित अल्प–सूचित प्रश्न, **बुधवार**, दिनांकः– 10,फाल्गुन,1944 (श0) / 01 मार्च, 2023 (ई0) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
29-	अ0सू0–03	श्री नवीन जायसवाल,	साईकिल स्टैंड बढ़ाना।	नगर विकास एवं आवास	21-02-23
30-	अ0सू0–06	श्री बिरंची नारायण,	कुत्तों का नियमित वैक्सीनेशन।	नगर विकास एवं आवास	21-02-23
31-	अ0सू0–13	सुश्री अम्बा प्रसाद,	केन्द्र सरकार को पुनःप्रस्ताव देना।	ग्रामीण विकास	23-02-23
32-	अ0सू0–12	श्री प्रदीप यादव,	अतिक्रमण मुक्त करना।	नगर विकास एवं आवास	23-02-23
33-	अ0सू0–09	श्री लोबिन हेम्ब्रम,	PESA कानून लागू करना।	पंचायती राज	23-02-23
34-	अ0सू0–01	श्री विनोद कुमार सिंह,	आवास उपलब्ध कराना।	ग्रामीण विकास	15-02-23
35-	अ0सू0–11	श्री प्रदीप यादव,	आवास योजना का लाभ देना।	ग्रामीण विकास	23-02-23
36-	अ0सू0–08	श्री बिरंची नारायण,	भवनों को नियमित करना।	नगर विकास एवं आवास	23-02-23
*37-	अ0सू0–15	श्री सरयू राय,	ओभर लोडिंग रोकना।	परिवहन	25-02-23
#38-	अ0सू0–07	श्री कमलेश कुमार सिंह,	पंजीकृत कराना।	पंचायती राज	23-02-23

*→ परिवहन विभाग के आपांक-233, दिनांक-27.02.23 के द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग में स्थानांतरित।

कृ0पृ030.........2/-

01	02	03	04	05	06
39-	अ०सू०-04	डॉ०कुशवाहा शशिभूषण मेहता,	कार्रवाई करना।	ग्रामीण कार्य	21-02-23
40-	अ०सू०-14	श्री सरयू राय,	जल प्रवाह नियमित रूप से छोड़ना।	नगर विकास एवं आवास	25-02-23
41-	अ०सू०-05	श्री अमित कुमार यादव,	आवंटन प्रकिया प्रारंभ करना।	नगर विकास एवं आवास	21-02-23

➤ पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या-396,दिनांक-24-02-2023 के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग में स्थान्तरित।

रॉंची,
दिनांक-01 मार्च,2023 ई०।

सैंयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्याः-झा०वि०स०(प्रश्न)-04/2020-587/वि०स०,रॉंची,दिनांकः-27/02/23

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

रवि
27.02.23

(रवि शंकर प्रसाद)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्याः-झा०वि०स०(प्रश्न)-04/2020-587/वि०स०,रॉंची,दिनांकः-27/02/23

प्रतिलिपिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव /निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

रवि
27.02.23

अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्याः-झा०वि०स०(प्रश्न)-04/2020-587/वि०स०,रॉंची,दिनांकः-27/02/23

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा/बेवसाईट शाखा/ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा,झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

रवि
27.02.23

गोपी/

अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

27.02.23

(29)

श्री नवीन जायसवाल मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछे जानेवाले अल्प सूचित प्रश्न –अ०सू०–03 का उत्तरः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि विभागीय योजनान्तर्गत वर्ष–2019 में शहरवासियों को सेहतमंद बनाने के लिए राँची शहर में पब्लिक साईकिल शेयरिंग सिस्टम की शुरूआत की गई थी;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त योजनान्तर्गत मात्र 60 स्टैण्ड बनाये गये हैं जिसमें मात्र 600 साईकिल रखी गई है। साईकिल की कमी के कारण लाभुकों को इस योजना के लाभ एवं सेवा से वंचित रहना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राँची शहर में पब्लिक साईकिल शेयरिंग सिस्टम प्रथम चरण की शुरूआत कुल 60 स्टैण्ड एवं 600 साईकिलों के साथ शुरू किया गया था। इन सभी स्टैण्डों पर पर्याप्त साईकिलों की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त साईकिलों का प्रावधान है, चूँकि साईकिलों का परिसंचरण (Circulation) लाभुकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता है, अतः स्टैण्ड में साईकिलों की कमी की पूर्ति प्रतिदिन एजेन्सी के वाहन के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त योजनान्तर्गत हटिया, धुर्वा, बुटी मोड़ एवं डोरण्डा जैसे प्राईम लोकेशन में साईकिल सेवा शुरू नहीं किया गया है;	राँची शहर में पब्लिक साईकिल शेयरिंग सिस्टम के द्वितीय चरण के अन्तर्गत कुल 60 स्टैण्ड एवं 600 साईकिल का प्रावधान है एवं इसके अन्तर्गत अभी तक कुल 41 स्टैण्ड का निर्माण कराया जा चुका है तथा शेष स्टैण्डों का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।
	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शहर की वर्तमान आबादी एवं शहरवासियों की सेहत को देखते हुए साईकिलों की संख्या एवं स्टैण्ड बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राँची शहर में पब्लिक साईकिल शेयरिंग सिस्टम के द्वितीय चरण के अन्तर्गत बचे हुए साईकिल स्टैण्ड के निर्माण एवं साईकिलों के प्रावधान के पश्चात् फेज–2 की शुरूआत शीघ्र ही किया जाएगा तत्पश्चात राँची शहर में कुल 120 स्टैण्ड एवं 1200 साईकिल की व्यवस्था पब्लिक साईकिल शेयरिंग सिस्टम के अन्तर्गत हो जाएगी।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–03/वि०स०/अ०सू०–03/2023/न०वि० –843, राँची दिनांकः– 28/02/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–170 दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23

सरकार के अवर सचिव।

Vinay -Sec-3 & R Letter-423

श्री बिरंची नारायण, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछे जानेवाले अल्प सूचित प्रश्न –अ.सू.–06 का उत्तरः–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो, राँची सहित झारखण्ड के शहरी इलाकों में आवारा एवं पागल कुत्तों का आतंक काफी बढ़ गया है और डॉग बाईट के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसमें राजधानी राँची में ही प्रतिदिन 300 से अधिक मरीज डॉग बाईट सेंटर पहुंच रहे हैं।	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि नगर निगम में लोक चिकित्सा पदाधिकारी प्रतिनियुक्त होने के बावजूद इन आवारा और पागल कुत्तों के विरूद्ध कोई भी अभियान नहीं चलाया जा रहा है।	राँची नगर निगम के वार्ड सं.–01 से 53 के अधीन आवारा एवं पागल कुत्तों के प्रजनन दर पर नियंत्रण करने के निमित "मेसर्स होप एण्ड एनिमल ट्रस्ट" द्वारा प्रतिदिन अभियान चलाया जाता है तथा अभियान के तहत प्रतिदिन 10–15 कुत्तों का बांध्याकरण तथा वैक्सीनेशन का कार्य किया जाता है, उक्त के फलस्वरूप राँची नगर निगम के अधीन डॉग बाईट के मामले बहुत ही कम है। संभावित है, कि राजधानी राँची में डॉग बाईट सेन्टर में भर्त्ती हो रहे मरीज नगर निगम क्षेत्र के बाहर के हों। चास नगर निगम द्वारा भी इस मामले में कार्रवाई की जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में उक्त समस्या के निराकरण हेतु नगरपालिका द्वारा सभी आवारा एवं पागल कुत्तों को नियंत्रित करने संबंधी कार्रवाई करवाते हुए अन्य प्राधिकारों से समन्वय स्थापित कर इन सभी कुत्तों के साथ–साथ नगरपालिका क्षेत्र के कुत्ता पालकों एवं ब्रिडरों की लाईसेंसिंग और नियमित वैक्सीनेशन करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राँची, गिरिडीह, धनबाद एवं देवघर नगर निगम में नामित सोसाईटी/एजेन्सी द्वारा आवारा और पागल कुत्तों को पकड़ कर उनका बंध्याकरण तथा वैक्सीनेशन कार्य किया जा रहा है, तथा जमशेदपुर अ.क्षे.सं., हजारीबाग एवं आदित्यपुर नगर निगम में उक्त कार्य हेतु एजेन्सी का चयन प्रक्रियाधीन है। ब्रिडरों को लाईसेंस दिए जाने का कार्य निकाय स्तर से संपादित नहीं किया जाता है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–03/वि०स०/विविध पत्रा०/01/2022/न०वि०– 842 राँची दिनांकः– 28/02/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–168 दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/23

सरकार के अवर सचिव।

31

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–13 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र. सं.	प्रश्नकर्त्ता का नाम – सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता का नाम– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1.	क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बेघर को घर देने हेतु वर्ष 2024 तक 2.95 करोड़ आवास देने का लक्ष्य रखा है।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में लगभग 2.50 लाख से अधिक आवास का निर्माण कार्य लंबित है।	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत झारखण्ड राज्य में दिनांक–27.02.2023 के प्रतिवेदन के अनुसार 1,67,914 आवास का निर्माण कार्य लंबित है।
3.	क्या यह बात सही है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लाखों लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान कराने के उद्देश्य से प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है जो अब तक स्वीकृत नहीं हुआ है।	माननीय मुख्यमंत्री एवं अद्योहस्ताक्षरी के स्तर से भारत सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए लक्ष्य आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त के अलावा माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल द्वारा माननीय केन्द्रीय मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से वार्त्ता कर झारखण्ड राज्य के लिए लक्ष्य आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। भारत सरकार द्वारा अभी तक झारखण्ड राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 में लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के योग्य लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान कराने हेतु तथा लंबित आवासों को यथाशीघ्र पूर्ण कराने के तथा नये आवास को बनाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार को पुनः प्रस्ताव भेजने का विचार रखती है, हाँ, तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	

28.02.2023

(चन्द्र भूषण)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक :–10–वि०स०–09 / 2023 / ग्रा०वि०– 919, राँची, दिनांक :– 28.02.2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–323, दिनांक–23.02.2023 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

28.02.2023

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–09 / 2023 / ग्रा०वि०– 919, राँची, दिनांक :– 28.02.2023

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/सुश्री अम्बा प्रसाद, मा0स0वि0स0 के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

28.02.2023

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–09 / 2023 / ग्रा०वि०– 919, राँची, दिनांक :– 28.02.2023

प्रतिलिपि :– उप सचिव–सह–प्रभारी पदाधिकारी (विधान सभा), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

28.02.2023

सरकार के अवर सचिव।

(32)

श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य झारखण्ड विधानसभा द्वारा दि०–01.03.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–12 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राजधानी सहित राज्य के अन्य छोट–बड़े शहरों में प्रशासनिक ढिलाई एवं अतिक्रमण के कारण तालाब सिकुड़ते जा रहे हैं एवं गायब हो रहे हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। राजधानी राँची में अतिक्रमण संबंधी मामले संज्ञान में आने के बाद उच्च स्तरीय समिति गठित करते हुए इसकी जांच की गई। जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर राँची नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 62 तालाबों/जलाशयों में अतिक्रमण हटाने हेतु संबंधित अंचलाधिकारियों को निदेशित किया गया है। राज्य के अन्य नगर निकायों में अतिक्रमण की सूचना नहीं है। अतिक्रमण की सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त कारण से वर्षा जल का संचयन न होने के कारण जल स्तर काफी नीचे भाग रहा है और जल संकट से लोगों को जुझना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि पर्यावरणीय बदलाव, वर्षा जल की विषमता, शहरी नागरिकों की जनसंख्या तथा अन्य कारकों के कारण भूगर्भ जल स्तर में कमी आयी है। भूगर्भ जल के संचयन हेतु शहरों में निर्मित भवनों/निर्माणाधीन भवनों में वर्षा जल संचयन (Rain Water Harvesting) का अनिवार्य प्रावधान किया गया है। साथ ही, राज्य एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत् तालाबों का जीर्णोद्धार आदि का कार्य किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एक टास्क फोर्स का गठन कर इन तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–01 एवं 02 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–**05/वि०मं०प्र०(अल्पसूचित)–02/2023/न०वि०आ०–** 839 दि०– 28/02/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–320/वि०स०, दिनांक–23.02.2023 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/23

सरकार के अवर सचिव।

श्री लोबिन हेम्ब्रम माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.03.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 09 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि P-PESA 1996 एक केन्द्रीय कानून (Fedral Law) है;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित Act. के तहत् सभी विभागों को नियमावली बनाकर संवैधानिक रूप में पंचायतों को सुदृढ़ करना था, जिस पर अभी तक कोई पहल नहीं की गई है;	अस्वीकारात्मक।
(3) क्या यह बात सही है कि P-PESA का विकेन्द्रीकरण कर राज्य में पंचायत चुनाव कराया जा रहा है जो संवैधानिक दृष्टिकोण से मान्य नहीं है;	NA
(4) क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित Act. के अनुसार नियमावली नहीं बनने से ग्राम स्वराज की अवधारणा को ठेस पहुँची है;	NA
(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार P-PESA के तहत नियमावली बनाकर राज्य में लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, ही तो क्यों?	पेसा नियमावली का गठन प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची– 834004
(panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com)

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0स0)–17/2023 —420—/, राँची, दिनांकः–28.2.2023

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 318 दिनांक 23.02.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0स0)–17/2023—420—/, राँची, दिनांकः–28.02.2023

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0स0)–17/2023—420—/, राँची, दिनांकः–28.02.2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव।

E:\sunita\Madhav sir Related\Vidhan Sabha Related\Question & Answer.docx

(21)

श्री बिनोद कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–01 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र. सं.	प्रश्नकर्त्ता का नाम – श्री बिनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता का नाम– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में आवास प्लस की प्रतीक्षा सूची में शामिल ग्रामीणों के आवास की अब तक स्वीकृति नहीं हुई है।	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत आवास प्लस की सूची से अब तक 3,94,885 लाभुकों का आवास स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 2,86,255 इकाई आवास पूर्ण हो चुके हैं।
2.	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आवास प्लस में शामिल ग्रामीणों को 2023 में आवास उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	

28.02.2023
(चन्द्र भूषण)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक :–10–वि०स०–07 / 2023 / ग्रा०वि०– 918 , राँची, दिनांक :– 28.02.2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–26, दिनांक–15.02.2023 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

28.02.2023
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–07 / 2023 / ग्रा०वि०– 918 , राँची, दिनांक :– 28.02.2023

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव / श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

28.02.2023
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–07 / 2023 / ग्रा०वि०– 918 , राँची, दिनांक :– 28.02.2023

प्रतिलिपि :– उप सचिव–सह–प्रभारी पदाधिकारी (विधान सभा), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

28.02.2023
सरकार के अवर सचिव।

35

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–11 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र. सं.	प्रश्नकर्त्ता का नाम – श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता का नाम– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने पी०एम० आवास योजना में राज्य सरकार की ओर से एक अतिरिक्त कमरा बनाने हेतु 50 हजार रूपये देने हेतु 2022–23 में बजटीय प्रावधान किया गया था।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण यह राशि जस की तस पड़ी रह जाने के कारण राज्य के 6 लाख गरीब इस लाभ से वंचित रह गए।	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन वंचित गरीबों को आवास योजना का लाभ मिले इस हेतु राज्य सरकार कोई नई पहल करना चाहती है, हाँ, तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	माननीय मुख्यमंत्री एवं अद्योहस्ताक्षरी के स्तर से भारत सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए लक्ष्य आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त के अलावा माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल द्वारा माननीय केन्द्रीय मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से वार्त्ता कर झारखण्ड राज्य के लिए लक्ष्य आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। भारत सरकार द्वारा अभी तक झारखण्ड राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 में लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया है।

28.02.2023

(चन्द्र भूषण)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक :–10–वि०स०–10 / 2023 / ग्रा०वि०– 920 , राँची, दिनांक :– 28.02.2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–322, दिनांक–23.02.2023 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

28.02.2023

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–10 / 2023 / ग्रा०वि०– 920, राँची, दिनांक :– 28-02-202

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव / श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

28.02.2023

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–10 / 2023 / ग्रा०वि०– 920 , राँची, दिनांक :– 28.02.202

प्रतिलिपि :– उप सचिव–सह–प्रभारी पदाधिकारी (विधान सभा), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

28.02.2023

सरकार के अवर सचिव।

36

श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–08 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो, राँची सहित राज्यभर में लाखों की संख्या में बिना नक्शा पास कराए भवनों को नियमित करने हेतु कमिटि का गठन नवम्बर, 2022 ई0 में किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। अनाधिकृत निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए योजना, 2022 का प्रारूप तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय अन्तर्विभागीय समिति का गठन किया गया है।
2	क्या यह बात सही है जब उक्त भवनों का निर्माण हो रहा था, तब संबंधित पदाधिकारियों ने इस पर कोई समुचित रोक नहीं लगाई और आज झारखंड में करीब 10 लाख से अधिक भवन बिना नक्शा के निर्मित हैं, जहाँ एक बड़ी आबादी निवास कर रही है और भयादोहन के वातावरण में जीने के मजबूर है;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में उक्त सभी भवनों को नियमित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 में वर्णित समिति की अनुशंसा पर समग्र परिस्थितियों पर विचार करते हुए नियमानुसार कार्रवाई का विचार रखती है एवं यह प्रक्रियाधीन है।

झारखंड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–05 / वि0स0 / अल्पसूचित–01 / 2023 / न0वि0आ0 840 राँची, दिनांक– 28/02/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा को उनके ज्ञा0सं0प्र0–321 वि0स0, दि०–23.02.2023 के आलोक में प्रतिवेदन की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/23

सरकार के अवर सचिव

38

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 01.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न–07

क0सं0	अल्प सूचित प्रश्न	उत्तरदाता माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग।
(1)	क्या यह बात सही है कि पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–N–11019/8/2017–FD, दिनांक14.09.2021 के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के सन्दर्भ में कंडिका 4.1 में मनरेगा अंतर्गत सोशल ऑडिट यूनिट को एक स्वतंत्र ईकाई के रूप में पंजीकृत किया जाय परन्तु 31 जनवरी 2023 तक सोशल ऑडिट यूनिट को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है।	**आंशिक स्वीकारात्मक।** सामाजिक अंकेक्षण इकाई सम्प्रति JSLPS (एक संस्था) के अंतर्गत स्थापित है, जिसे स्वतंत्र इकाई के रूप में निबंधित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
(2)	क्या यह बात सही है कि सामाजिक अंकेक्षण इकाई के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20 तथा 2020–21 में ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास अथवा अन्य विभागों के द्वारा संचालित योजनायों का सामाजिक अंकेक्षण कराया गया है, जिसमें भारी अनियमितता पाई गई है।	**स्वीकारात्मक।** सामाजिक अंकेक्षण के उपरांत प्राप्त अनियमितता पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की दिशा में प्राप्त निदेश के आलोक में मनरेगा अंतर्गत सोशल ऑडिट की एक स्वतंत्र इकाई के रूप में पंजीकृत करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण इकाई के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी (Jharkhand Social Audit Society) के रूप में निबंधित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

28/02/2023

(अरुण कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांकः–SAU/597/2023 952. दिनांक– 28.02.2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–319 दिनांक–23.02.2023 के आलोग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2023

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–SAU/597/2023 952. दिनांक– 28.02.2023

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/02/2023

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–SAU/597/2023 952. दिनांक– 28.02.2023

प्रतिलिपिः–विभागीय प्रशाखा–3 को प्रश्नगत तारांकित प्रश्न की उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

28/02/2023

सरकार के अवर सचिव।

डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जानेवाला
अल्प–सूचित प्रश्न सं0 अ0सू0–04

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक–परिवाद संख्या–ग्रा0का0–1267, दिनांक–23.07.2021 पलामू जिला अन्तर्गत पाँकी प्रखण्ड के ढूब–छतरपुर मार्ग में अमानत नदी पर निर्माणाधीन पुल ध्वस्त होने से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से त्रि–सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँच समिति का गठन किया गया था, जिसका जाँच प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि विभाग के द्वारा संवेदक पर कार्रवाई करने के बजाय सभी विभागों के द्वारा नित नये कामों से अवार्ड किया जा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। प्रश्नाधीन पुल से संबंधित संवेदक मेसर्स सिलदिलिया कन्सट्रक्शन, स्टेशन रोड, रेडमा, पलामू को गत 03 वित्तीय वर्षों–2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 में विशेष प्रक्षेत्र एवं पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा पुल निर्माण का कोई भी नया कार्य आवंटित नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् पथ निर्माण का एक काम दिनांक–29.06.2022 को आवंटित किया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उच्चस्तरीय जाँच समिति से शीघ्र जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराने एवं जाँच में दोषी पाए जानेवाले संवेदक को काली सूची में डालने तथा जाँचकर्ता प्रभावित करने वाले संबंधित वरिष्ट पदा0 के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नाधीन मामले में जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति को निरंतर स्मारित किया जा रहा है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत समीक्षा कर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार अग्रेतर कारवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–22 / 2023 / ग्रा0का0वि0 666 राँची, दिनांक– 28-02-2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–179 वि0स0 दिनांक – 21.02.2023 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन कुल 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–22 / 2023 / ग्रा0का0वि0 666 राँची, दिनांक– 28-02-2023

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–22 / 2023 / ग्रा0का0वि0 666 राँची, दिनांक– 28-02-2023

प्रतिलिपिः– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव

40

श्री सरयू राय, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–14 का उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय जल नीति–2002 के अनुसार नदियों पर बने जलाशयों में संचित जल के उपयोग में पहली प्राथमिकता पेयजल की है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि मोहरदा पेयजल परियोजना, जमशदेपुर द्वारा पेयजल आपूर्ति के लिये स्वर्णरेखा नदी के जल का उपयोग होता है, जिसके ऊपर स्वर्णरेखा परियोजना का चांडिल डैम जलाशय बना हुआ है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि मोहरदा पेयजल परियोजना का इंटेक वेल नदी के एक किनारे पर त्रुटिपूर्ण ढंग से बना दिया गया है, जिसमें समीप नदी जल प्रवाह में ठहराव आ जाने के कारण सिवरेज बहिश्राव जनिल लाल कीड़ों का जमावड़ा हो रहा है, जो पेयजल के साथ उपभोक्ता के घरों में पहुँच रहे हैं, जिन्हें हटाने का एकमात्र उपाय नदी में जल प्रवाह बढ़ाना है;	पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, आदित्यपुर का पत्रांक–271 दिनांक–27.02.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है:– अस्वीकारात्मक। परियोजना में डिजाईन ड्राईंग के अनुरूप इंटेकवेल का निर्माण किया गया है। साथ ही पर्याप्त मात्रा में इंटेकवेल में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वियर भी निर्मित है। वर्त्तमान में इंटेकवेल के समीप नदी में जल प्रवाह में ठहराव आने का संभावित कारण है, उक्त स्थल में Silt का जमाव हो जाना। इसकी समुचित सफाई से जल प्रवाह को समान्य किया जा सकता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार मानसून आने तक जनहित में चांडिल डैम से स्वर्णरेखा नदी में अतिरिक्त जल प्रवाह नियमित रूप से छोड़ने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–1202 दिनांक–28.02.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि:– चांडिल जलाशय में विस्थापितों के भारी विरोध के कारण जलाशय में पूर्ण क्षमता (RL-189.00 M) जल संग्रहण नहीं किया जा रहा है। मानसून में RL-181.00 M तक ही जलाशय में जल संग्रहण किया जा रहा है। वर्त्तमान स्थिति में चाण्डिल डैम से सुवर्णरेखा नदी में अतिरिक्त जल प्रवाह नियमित रूप से छोड़ना संभव नहीं है। परंतु पर्यावरणीय प्रवाह (e-flow) हेतु आवश्यक जल प्रवाह नियमित रूप से छोड़ा जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–05 / वि०स० / अल्पसूचित–03 / 2023 / न०वि०आ० 857 राँची, दिनांक– 28/02/23

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्र संख्या–499 दिनांक–25.02.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/23

सरकार के अवर सचिव।

(41)

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–05 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य अवास बोर्ड द्वारा राँची, हजारीबाग सहित राज्य के विभन्न आवास बोर्ड कॉलोनियों में बहुमंजिला फ्लैट का निर्माण कराया गया है, जिसे अब तक आवंटित नहीं किया गया है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची, हजारीबाग, धनबाद एवं जमशेदपुर प्रमण्डल अतर्गत बहुमंजिला फ्लैटों का निर्माण किया गया है, जिनका पूर्व में लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया गया था। शेष बचे हुए फ्लैटों का आवंटन प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त फ्लैट के मूल्य बाजार भाव से अधिक रहने के कारण आम नागरिक क्रय करने से असमर्थ होते हैं, साथ ही लंबे समय तक यदि फ्लैट खाली रहेगा तो शीघ्र ही जर्जरावस्था में हो जाएगा।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड द्वारा निर्मित फ्लैटों का कुल लागत राशि के अनुरूप अथवा अद्यतन सर्किल दर से कम कीमत पर आवंटन किया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त फ्लैटों के दाम बाजार मूल्य के अनुरूप पुनः निर्धारित करते हुए आवंटित प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–**07 / वि०स०(अ०सू०)–03 / 2023 / न०वि०आ०**– 841 दि०– 28/02/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–167 / वि०स०, दिनांक–21.02.2023 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/23

सरकार के अवर सचिव।